रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082021-228877
CG-DL-E-10082021-228877

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2984] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 10, 2021/श्रावण 19, 1943
No. 2984] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 10, 2021/SHRAVANA 19, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2021

सं. 17/2015–20

विषयः विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.07 में संशोधन।

का.आ. 3215(अ).—समय–समय पर यथा–संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के मौजूदा पैरा 2.07 में निम्नानुसार संशोधन करती हैः

2.07 आयात/निर्यात के प्रतिबंधों और निषेधों के सिद्धांत

मौजूदा प्रावधान	**संशोधित प्रावधान**
महानिदेशक विदेश व्यापार अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित हेतु आवश्यक, निर्यात और आयात संबंधी निषेध या प्रतिबंध भी लगा सकते हैंः–	महानिदेशक विदेश व्यापार अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित हेतु, निषेध या प्रतिबंध भी लगा सकते हैंः– (क) गंभीर रूप से कमी होने को रोकने या इसे पूरा करने

(क) सार्वजनिक नैतिकता की सुरक्षा; (ख) मानव, जानवर अथवा पादप जीवन अथवा स्वास्थ्य का संरक्षण; (ग) पेटेंट, ट्रेडमार्क और कापीराइट का संरक्षण और कपटपूर्ण व्यवहारों की रोकथाम; (घ) कैदी श्रमिकों के उपयोग को रोकना; (ड.) कलात्मक, ऐतिहासिक अथवा पुरातत्व महत्व की राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण; (च) क्षयशील प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण; (छ) विखंडनीय सामग्री या सामग्री जिनसे वे व्युत्पन्न किए गए हैं के व्यापार का संरक्षण; (ज) हथियार, गोला–बारुद और युद्ध सामग्री के यातायात की रोकथाम (झ) सोना या चांदी के आयात या निर्यात से संबंधित;	के लिए खाद्य पदार्थों या अन्य आवश्यक उत्पादों का निर्यात; (ख) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के वर्गीकरण, श्रेणीकरण या विपणन के लिए मानकों या विनियमों को लागू करने के लिए आवश्यक आयात और निर्यात; (ग) घरेलू उत्पाद का उत्पादन रोकने या कतिपय अन्य उद्देश्यों के लिए सरकारी उपायों को लागू करने हेतु किसी भी रुप में मत्स्य उत्पाद का आयात; (घ) देश की बाह्य वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रखने और भंडार के स्तर को सुनिश्चित करने हेतु आयात; (ड.) किसी विशेष उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए आयात; (च) घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति होने से रोकने के लिए या ऐसी क्षति का सामना करने वाले उत्पादकों को राहत देने के लिए आयात में अचानक वृद्धि रोकना; (छ) सार्वजनिक नैतिकता की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण (ज) मानव, जानवर अथवा पादप जीवन अथवा स्वास्थ्य का संरक्षणः (झ) सोना या चांदी के आयात या निर्यात से संबंधित; (ञ) पेटेंट, ट्रेडमार्क और कापीराइट के संरक्षण और कपटपूर्ण व्यवहारों की रोकथाम से संबंधित कानूनों सहित कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन कराने हेतु आवश्यक; (ट) कैदी श्रमिकों के उत्पादों से संबंधित; (ठ) कलात्मक, ऐतिहासिक अथवा पुरातत्व महत्व की राष्ट्रीय धरोहरों के संरक्षण के लिए; (ड) क्षयशील प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए; (ढ) घरेलू प्रसंस्करण उद्योग हेतु आवश्यक मात्रा को सुनिश्चित करने हेतु; (ण) सामान्य या स्थानीय कम आपूर्ति में उत्पादों के अधिग्रहण या वितरण के लिए आवश्यक; (त) देश के आवश्यक सुरक्षा हितों की सुरक्षा करने हेतु (i) विखंडनीय सामग्री या सामग्री जिनसे वे व्युत्पन्न किए गए हैं; से संबंधित; अथवा (ii) हथियार, गोला–बारुद और युद्ध सामग्री के

	यातायात की रोकथाम से संबंधित। (iii) अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों में युद्ध या अन्य आयात के समय लिया गया। (थ) अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अनुरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत देश के दायित्वों के अनुसरण में

3. **अधिसूचना का प्रभाव:** विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.07 को अंतर्राष्ट्रीय करारों के अनुरुप निषेध और प्रतिबंधों के सिद्धांतों के संबंध में संशोधित किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01/93/180/32/एएम–19/पीसी–II (ख)/ई–17430]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार

एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2021

No. 17 /2015-2020

Subject: Amendment in Para 2.07 of Foreign Trade Policy, 2015-2020.

S.O. 3215(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the existing Para 2.07 of Foreign Trade Policy, 2015-2020 to read as under:

2. 07 Principles of Restrictions and Prohibitions for Imports/Exports:

Existing Provision	Revised Provision
DGFT may, also through a Notification, impose prohibitions or restrictions on export and import, necessary for :- (a)Protection of public morals; (b) Protection of human, animal or plant life or health; (c) Protection of patents ,trademarks and copyrights, and the prevention of deceptive practices; (d)Prevention of use of prison labour; (e) Protection of national treasures of	DGFT may, through a Notification, impose 'Prohibition' or 'Restriction': - a. on export of foodstuffs or other essential products for preventing or relieving critical shortages; b. on imports and exports necessary for the application of standards or regulations for the classification, grading or marketing of commodities in international trade; c. on imports of fisheries product, imported in any form, for enforcement of governmental measures to restrict production of the domestic product or for certain other purposes; d. on imports to safeguard country's external financial position and to ensure a level of reserves. e. on imports to promote establishment of a particular

artistic, historic or archaeological value; (f) Conservation of exhaustible natural resources; (g) Protection of trade of fissionable material or material from which they are derived; (h) Prevention of traffic in arms, ammunition and implements of war; (i) Relating to the importation or exportation of gold or silver.	industry; f. for preventing sudden increases in imports from causing serious injury to domestic producers or to relieve producers who have suffered such injury; g. for protection of public morals or to maintain public order; h. for protection of human, animal or plant life or health i. relating to the importations or exportations of gold or silver; j. necessary to secure compliance with laws and regulations including those relating to the protection of patents, trademarks and copyrights, and the prevention of deceptive practices k. relating to the products of prison labour l. for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value m. for the conservation of exhaustible natural resources n. for ensuring essential quantities for the domestic processing industry o. essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply; p. for the protection of country's essential security interests: i. relating to fissionable materials or the materials from which they are derived; ii. relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war; iii. taken in time of war or other emergency in international relations; or q. in pursuance of country's obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.

Effect of the Notification: Para 2.07 of the FTP regarding principles of prohibition and restrictions, is amended to be in line with international agreements.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/93/180/32/AM-19/PC-II(B)/E-17430]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.10 21:42:33 +05'30'